सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, e-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक:1300 / सो.आ.नि.–3 / 494 / 2019
दिनाँक: 20 नवम्बर, 2025

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोडकर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः–भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड ए0टी0आर0 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–J-1106/ 08/ 2024-RE-III (387576), दिनांक 21–08–2025 (संलग्न) के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या–मनरेगा / पत्रा0सं0–103टी0सी0 / 2712 / 2025–26, दिनांक 06–11–2025 (संलग्न) एवं निदेशालय के पत्र संख्या–1165, दिनांक 17–10–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सोशल ऑडिट में 2022–23 एवं उससे पूर्व के वर्षों में जो प्रकरण पाये गये है, उनके प्राप्त ATR का परीक्षण करते हुए उनको क्लोज किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

सूच्य है कि मनरेगा वेबसाइट पर SAU-MIS पर सोशल ऑडिट प्रकरणों को चार कैटेगरी में अपलोड किया जाता है। 1) वित्तीय अनियमितता (2) वित्तीय विचलन (3) प्रक्रिया उल्लंघन (4) शिकायत

उक्त कैटेगरी में से वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों पर ससमय वसूली की कार्यवाही करते हुये वेबसाइट पर अपलोड करने तथा वित्तीय अनियमितता के जो प्रकरण कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा वसूली योग्य नहीं पाये जाते है, उनके संबंध में सप्रमाण आख्या जिलाधिकारी के स्तर से शासनादेश संख्या–1641 / अड़तीस–7–2019–324नरेगा / 2012 टीसी–1, दिनांक 12–07–2019 (संलग्न) एवं सोशल ऑडिट निदेशालय के पत्रांक–191, दिनांक 14–06–2022 (संलग्न) तथा 908, दिनांक 30–12–2022 (संलग्न) के क्रम में कार्यवाही कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा की जानी अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त SAU-MIS पर अपलोड वित्तीय विचलन, प्रक्रिया उल्लंघन एवं शिकायत के अपलोड प्रकरणों की ए0टी0आर0 की अनुपालन आख्या एवं उससे सम्बन्धित प्रस्तुत साक्ष्य के संतोषजनक होने पर प्रकरणों को क्लोज किया जाये तथा जिन प्रकरणों में अनुपालन आख्या संतोषजनक न हो, उन्हे सम्बन्धित पी0ओ0 लॉगिन को वापस कर दिया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपुर्यक्तानुसार कार्यवाहीं करने हेतु संबधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Kamlesh Kumar
Date: 17-11-2025
16:44:00

(कमलेश कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या–मनरेगा/पत्रां0सं0–103टी0सी0/2712/2025–26 दिनांक 06–11–2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोडकर), उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)
निदेशक